इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक- 16.11.2023

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 लुटेरे को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 6,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना ऊसराहार व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 शातिर लुटेरों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 07 वर्ष के साश्रम कारावास की सजा व 6,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.01.2010 को वादी रोहित दीक्षित द्वारा थाना ऊसराहार पर तहरीर दी गयी कि अभियक्त द्वारा उसके के पिता से पैसों से भरा बैग छीनने की कोशिश की गई व मना करने पर गोली मार कर घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर **थाना ऊसराहार पर मु0अ0सं0 09/2010 धारा 394 भादवि पंजीकृत किया गया था।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 कृष्ण दयाल सिंह द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रामवीर पुत्र शम्भूदयाल निवासी नगला चन्द्र थाना ऊसराहार जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना ऊसराहार पुलिस टीम, पैरोकार का0 उस्मान एवं मानीटरिंग सैल व सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त रामवीर पुत्र शम्भूदयाल निवासी नगला चन्द्र थाना ऊसराहार जनपद इटावा को आज दिनांक 16.11.2023 को विशेष न्यायधीश डकैती/अपर जिला न्यायाधीश कोर्ट नं0 3 जनपद इटावा द्वारा अन्तर्गत धारा 394 भादवि में 07 के साश्रम कारावास व 25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष की सजा सुनाई गयी तथा 6,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **रामवीर पुत्र शम्भूदयाल निवासी नगला चन्द्र थाना ऊसराहार जनपद इटावा।**